कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।

जनपद न्यायालय गोरखपुर मे सेवानिवृत कर्मचारियो की पुनर्नियुक्ति के संबंध में सामान्य निर्देश

माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या–14/Admin 'D' Section dated 15.10.2022 मे दिये गये निर्देशो के अनुपालन मे जनपद न्यायालय गोरखपुर में सेवानिवृत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीमित अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित सामान्य नियम एवं शर्तों के अध्यधीन आमंत्रित किये जाते है:–

1– सेवानिवृत कर्मचारी की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2– सेवानिवृत कर्मचारियो की पुनर्नियुक्ति अधिकतम 1 वर्ष के लिये की जायेगी। पुनर्नियुक्त कर्मचारीगण की सेवाएं जिस पद के सापेक्ष की जायेगी वह पद सीधी भर्ती अथवा प्रदोन्नति द्वारा भरे जाने की दशा में संबंधित कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।

3– पुनर्नियुक्त सेवानिवृत कर्मचारियो को उनके अंतिम आहरित वेतन की धनराशि से वर्तमान पेंशन की धनराशि को घटाते हुये शेष धनराशि परिलब्धियों के रुप में देय होगी।

4– अभ्यर्थियों को अपने प्रार्थनापत्र के साथ उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित न होने और न ही किसी भी न्यायालय द्वारा उन्हें दोषसिद्ध किया गया है, संबंधी शपथपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5– अभ्यर्थियों को दो संम्भ्रात व्यक्तियों द्वारा चरित्र प्रमाणपत्र आवेदनपत्र के साथ संल्गन करना अनिवार्य है।

6– अभ्यर्थियों को सेवा में पुनर्नियुक्ति के पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र नियुक्ति तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

7– पुनर्नियुक्ति हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी दिनांक 10.11.2022 तक आवेदनपत्र प्रस्तुत करेंगे तथा साक्षात्कार हेतु 14.11.2022 को प्रातः 10.00 बजे जनपद न्यायालय परिसर स्थित प्रशासनिक अनुभाग में उपस्थित होगें।

8– साक्षात्कार हेतु उपस्थित व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

दिनांक–03.11.2022

Arun Kumar Yadav
03/11/22

(अरुण कुमार यादव)
सदस्य चयन समिति/
सिविल जज (सी0डि0)
गोरखपुर।

03-11-2022

(अशोक कुमार–एकादश)
वरिष्ठ सदस्य चयन समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1
गोरखपुर।